

झारखण्ड विधान सभा

कार्य सूची

पंचम झारखण्ड विधान-सभा

[तृतीय (मानसून) सत्र]

22 सितम्बर, 2020 (ई०)
मंगलवार, तिथि

31 भाद्र, 1942 (श०)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11:00 बजे पूर्वाह्न)

प्रारम्भिक-कार्य

-:: प्रश्नोत्तर ::-

1. सभा के गत-सत्र के अतारांकित तथा अनागत प्रश्नों के उत्तर का सभा सचिव द्वारा पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
2. अल्प-सूचित एवं तारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर।
3. शून्यकाल की सूचनाएँ।

-:: ध्यानाकर्षण-सूचनाएँ एवं उसपर सरकार का वक्तव्य ::-

4. श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह एवं श्री उमाशंकर अकेला, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-21.09.2020 से स्थगित)
5. श्री प्रदीप यादव, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-21.09.2020 से स्थगित)
6. श्री लम्बोदर महतो एवं श्री इन्द्रजीत महतो, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-21.09.2020 से स्थगित)

कृ०पृ०३०

7. श्री बिरंची नारायण,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (ग्रामीण विकास विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-21.09.2020 से स्थगित)
8. डॉ०सरफराज अहमद,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (स्वास्थ्य,चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-21.09.20 से स्थगित)
9. श्री विनोद कुमार सिंह,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।
10. श्री किशुन कुमार दास,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग) की ओर से वक्तव्य।
11. सुश्री अंबा प्रसाद,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (योजना-सह-वित्त विभाग) की ओर से वक्तव्य।
12. सर्वश्री सुदिव्य कुमार,जिगा सुसारण होरो एवं श्री दिनेश विलियम मराण्डी,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) की ओर से वक्तव्य।
13. श्री सुदेश कुमार महतो,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (पथ निर्माण विभाग) की ओर से वक्तव्य।

-:: समितियों का गठन ::-

14. झारखण्ड विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम के अनुसरण में समितियों का गठन। (यदि हो)

-:: सभा मेज पर कागजात का रखा जाना ::-

15. मंत्री प्रभारी (संसदीय कार्य) श्री आलमगीर आलम,द्वारा The Jharkhand Advocate's Welfare Fund Rules,2018 की प्रति का सभा मेज पर रखा जाना।

16. मंत्री प्रभारी (राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) श्री जगरनाथ महतो,द्वारा झारखण्ड खनिज धारित (COVID-19 PANDEMIC) सेस नियमावली,2020" की प्रति का सभा मेज पर रखा जाना।
17. मंत्री प्रभारी (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) श्री जगरनाथ महतो,द्वारा "झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद (समग्र शिक्षा) का वर्ष-2018-19 का वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकोक्षित लेखा" की प्रति का सभा मेज पर रखा जाना।
18. झारखण्ड विधान-सभा की समितियों के प्रतिवेदनों का सभा-पटल पर रखा जाना। (यदि हो)
19. याचिकाओं का उपस्थापन। (यदि हो)

--: विधायी कार्य :-

झारखण्ड राज्य सेवा देने का गारंटी (संशोधन) विधेयक,2020

20. मुख्यमंत्री प्रभारी (कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) श्री हेमन्त सोरेन,प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड राज्य सेवा देने का गारंटी (संशोधन) विधेयक,2020" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
21. मुख्यमंत्री प्रभारी (कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) श्री हेमन्त सोरेन,उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
22. मुख्यमंत्री प्रभारी (कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) श्री हेमन्त सोरेन,प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड राज्य सेवा देने का गारंटी (संशोधन) विधेयक,2020" पर विचार हो।

23. मुख्यमंत्री प्रभारी (कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) श्री हेमन्त सोरेन, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड राज्य सेवा देने का गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2020" स्वीकृत हो।

मुख्यमंत्री प्रभारी (गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) श्री हेमन्त सोरेन, प्रस्ताव करेंगे कि "दण्ड प्रक्रिया संहिता (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2020

24. मुख्यमंत्री प्रभारी (गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) श्री हेमन्त सोरेन, प्रस्ताव करेंगे कि "दण्ड प्रक्रिया संहिता (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2020" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

25. मुख्यमंत्री प्रभारी (गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) श्री हेमन्त सोरेन, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

26. मुख्यमंत्री प्रभारी (गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) श्री हेमन्त सोरेन, प्रस्ताव करेंगे कि "दण्ड प्रक्रिया संहिता (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2020" पर विचार हो।

27. मुख्यमंत्री प्रभारी (गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) श्री हेमन्त सोरेन, प्रस्ताव करेंगे कि "दण्ड प्रक्रिया संहिता (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2020" स्वीकृत हो।

झारखण्ड खनिज धारित भूमि पर (कोविड-19 महामारी) उपकर विधेयक, 2020

28. मुख्यमंत्री प्रभारी (राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) श्री हेमन्त सोरेन, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड खनिज धारित भूमि पर (कोविड-19 महामारी) उपकर विधेयक, 2020" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

29. मुख्यमंत्री प्रभारी (राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) श्री हेमन्त सोरेन, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

30. मुख्यमंत्री प्रभारी (राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) श्री हेमन्त सोरेन, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड खनिज धारित भूमि पर (कोविड-19 महामारी) उपकर विधेयक, 2020" पर विचार हो।

31. मुख्यमंत्री प्रभारी (राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) श्री हेमन्त सोरेन, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड खनिज धारित भूमि पर (कोविड-19 महामारी) उपकर विधेयक, 2020" स्वीकृत हो।

झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020

32. वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री, डॉ० रामेश्वर उरौंव, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

33. वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री, डॉ० रामेश्वर उरौंव, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

34. वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री, डॉ० रामेश्वर उरौंव, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020" पर विचार हो।

35. वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री, डॉ० रामेश्वर उरौंव, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020" स्वीकृत हो।

झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (संशोधन)

विधेयक, 2020

36. वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री, डॉ० रामेश्वर उरौंव, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (संशोधन) विधेयक, 2020" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

37. वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री, डॉ० रामेश्वर उरौंव, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

38. वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री, डॉ० रामेश्वर उरौंव, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (संशोधन) विधेयक, 2020" पर विचार हो।

39. वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री, डॉ० रामेश्वर उरौंव, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (संशोधन) विधेयक, 2020" स्वीकृत हो।

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2020

40. वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री, डॉ० रामेश्वर उरौंव, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2020" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

41. वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री, डॉ० रामेश्वर उरौंव, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

42. वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री,डॉ० रामेश्वर उरौंव,प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक,2020" पर विचार हो।

43. वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री,डॉ० रामेश्वर उरौंव,प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक,2020" स्वीकृत हो।

मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) विधेयक,2020

44. परिवहन विभाग के प्रभारी मंत्री,श्री चम्पाई सोरेन,प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) विधेयक,2020" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

45. परिवहन विभाग के प्रभारी मंत्री,श्री चम्पाई सोरेन,उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

46. परिवहन विभाग के प्रभारी मंत्री,श्री चम्पाई सोरेन,प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) विधेयक,2020" पर विचार हो।

47. परिवहन विभाग के प्रभारी मंत्री,श्री चम्पाई सोरेन,प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) विधेयक,2020" स्वीकृत हो।

झारखण्ड राज्य भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) परिषद विधेयक,2020

48. स्वास्थ्य,चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री,श्री बन्ना गुप्ता,प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड राज्य भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) परिषद विधेयक,2020" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

49. स्वास्थ्य,चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री,श्री बन्ना गुप्ता,उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
50. स्वास्थ्य,चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री,श्री बन्ना गुप्ता,प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड राज्य भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) परिषद विधेयक,2020" पर विचार हो।
51. स्वास्थ्य,चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री,श्री बन्ना गुप्ता,प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड राज्य भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) परिषद विधेयक,2020" स्वीकृत हो।

विशेष वाद-विवाद

(एक घंटा)

52. श्री प्रदीप यादव,स0वि0स0 से प्राप्त "कोरोना महामारी से उत्पन्न समस्या पर" विशेष वाद-विवाद।

-:: गैर-सरकारी संकल्प ::-

53. लोकहित के विषयों पर गैर-सरकारी संकल्प।

(संकल्प की सूची अलग से वितरित की जा रही है।)

-:: प्रश्नों के संबंध में विवरण ::-

54. वर्तमान सत्र में प्राप्त प्रश्नों के विवरण का सभा नेता द्वारा पढ़ा जाना।
55. अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो)।
56. अध्यक्ष का समापन भाषण।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची

आपके वि.दि.के विषय के प्रस्तावित आदेशों का प्रतीक संख्या 2020-06/1671/वि०स०, रौंघी, दिनांक- 21/09/20

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-06/2020-1671/वि०स०, रौंघी, दिनांक- 21/09/20
प्रतिलिपि:- माननीय सदस्यगण, झारखण्ड विधान-सभा, रौंघी/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/सरकार के मुख्य सचिव, झारखण्ड/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, झारखण्ड, रौंघी/ लोकसभा/राज्यसभा, नई दिल्ली/झारखण्ड सरकार के समस्त विभागों को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

छोटे लाल डूह
21/09/20

(छोटे लाल डूह)

अवर सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, रौंघी।

आप संख्या:-कार्य०का०सू०-06/2020-1671/वि०स०, रौंघी, दिनांक- 21/09/20

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव, अध्येक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवालय कार्यालय को कृपया: माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनाार्थ प्रेषित।

छोटे लाल डूह
21/09/20

(छोटे लाल डूह)

अवर सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, रौंघी।

आप संख्या:-कार्य०का०सू०-06/2020-1671/वि०स०, रौंघी, दिनांक- 21/09/20

प्रतिलिपि:- झारखण्ड विधान-सभा के सभी पदाधिकारीगण/वेबसाईट शाखा/पुस्तकालय शाखा एवं जनसम्पर्क शाखा को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

छोटे लाल डूह
21/09/20

(छोटे लाल डूह)

अवर सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, रौंघी।

अरुण

21/09/20